1237899/2022/O/o DDE(N)

I/3081726/2023

E(NG)I-2018/PM1/4

RBE No. 122/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2018/PM1/4 New Delhi, dated 07.11.2023

The General Manager (P),
All Zonal Railways/PUs
(As per standard mailing list)

Sub: Selection for promotion within Group 'C' posts introduction of 100% objective type multiple choice questions - clarification reg.

******

Clarifications have been sought by certain Railways/ PUs on procedure to be adopted on certain issues connected with objective type questions in departmental selections/ LDCE etc. The matter has been examined by the Board and the position with respect to the issues raised is clarified as under:

SN	Queries	Clarifications
1	What action is to be taken if the question paper contains mistakes viz. questions having no correct answers in all four options (multiple choices); ambiguous questions; wrong mathematical or scientific symbols and if the Paper Setter himself confers his/her mistakes in the question paper.	As per Railway Board's letter No. 2010/E(RRB)/25/27 Pt. dated 09.06.2011 which stipulates that wherever any question(s) in the question paper(s) is found to be incorrect, the question(s) may be omitted from the scope of evaluation instead of giving grace mark(s) and raw score may be assessed on percentage basis. The same principle may be adopted for departmental examinations also.
2	Who can be the competent authority to take decision to identify question(s) as wrong and to omit such question(s) from the scope of evaluation, whether the question paper setter or the next higher authority.	After concluding the departmental examinations, objection from the candidates may be obtained. Members of Selection Board i.e. Question paper setter should decide regarding correctness of questions/options and evaluator should also satisfy himself with the same, before starting the evaluation.
	The procedure of RRB selection and departmental selections are different as in RRB, 100 questions are provided to candidates with direction to attempt all the questions whereas in departmental selections, there are total 110 questions i.e.100+10 optional questions of Rajbhasha. Out of 10 questions, only 100 questions required to be attempted by the employees. In this situation, some of employees may attempt wrong question (s) and some of	The following procedure being followed in selections and LDCE for promotions from Group-C to Group-B may also be made applicable for Group C selections/LDCE. "In case, some of the question(s)/answer(s) therein are incorrect, the procedure as

1237899/2022/O/o DDE(N)

I/3081726/2023

3	them may not attempt the wrong question and attempt other question (s) of Rajbhasha already available in the question paper. In such a situation two type of answer sheets are available one is for those employees who have attempted wrong question (s) and 2nd for those who have not attempted the so called wrong question (s) and instead of wrong question (s) attempted other question (s) available in question paper.	prescribed in the letter No. 2010/E(RRB)/25/27 dated 09.06.2011 is to be adopted only for those candidates who have attempted that/those incorrect question(s) or question(s) with wrong answer(s). This will be applicable to question paper(s) involving optional question(s)".
4	Whether the procedure to be adapted in the departmental selections needs to be notified to the candidates (employees) in advance.	The procedure being followed presently may continue or the same may be modified as deemed fit to suit all existing requirements. Provision of deletion of questions in case of wrong answer should be mentioned in the notification.
5	Is there any limit on the maximum number of questions that can be omitted from the scope of evaluation and order for cancellation of written examination if the number of questions identified as wrong which exceeds the certain limit?	No such limit has been prescribed.

This disposes off SCR's letter No. P(R)605/XIV dated 08.07.2021, ICF's letter No. ICF/VIG/2021/PC/285 dated 26.04.2021, NCR's letter No. 797-E/NCR/Policy/Selection/2022 dated 06.06.2022 and BLW's letter no. GM(P)CC/Selection/Policy dated 02.09.23.

Please acknowledge the receipt of the letter.

Hindi version will follow.

Signed by
Sanjay Kumar
Date: 07-11-2023 18:21:07

(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board
E-mail: sanjay.kumar6@gov.in
Ph. No. 43658/01123303658

No. E(NG)I/2018/PM1/4 New Delhi, dated 07.11.2023

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).

E(NG)I-2018/PM1/4

1237899/2022/O/o DDE(N)

I/3081726/2023

6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSs/MoSR(D), MOSR (J), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

****

आरबीई सं.122/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4

नई दिल्ली, दिनांक 07.11.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : समूह 'ग' के पदों के अंदर पदोन्नति के लिए चयन हेतु 100% वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्नों की शुरुआत – के संबंध में स्पष्टीकरण ।

*****

कुछ रेलों तथा उत्पादन इकाइयों द्वारा विभागीय चयन/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आदि में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्नों से जुड़े कतिपय मुद्दों के संबंध में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। बोर्ड द्वारा इस मामले की जांच की गई है तथा उठाए गए मुद्दों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	यदि प्रश्न-पत्र में त्रुटि है, अर्थात प्रश्न के चारों विकल्प (बहुविकल्प) में कोई भी सही उत्तर नहीं है; अस्पष्ट प्रश्न; गणित अथवा विज्ञान के गलत चिह्न और यदि प्रश्न-पत्र बनानेवाला स्वयं प्रश्न-पत्र में अपनी त्रुटियां सूचित करता है तो उस स्थिति में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।	रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.06.2011 के पत्र सं. 2010/ई(आरआरबी)/25/27 पार्ट के अनुसार, जो यह अनुबद्ध करता है कि जहां भी प्रश्न-पत्र में कोई प्रश्न गलत पाया जाए तो कृपांक देने के स्थान पर उसे मूल्यांकन की परिधि से हटा दिया जाए और प्रतिशत के आधार पर असंपूर्ण अंकों का आकलन किया जाए। यही नियम विभागीय परीक्षाओं के लिए भी अपनाया जाए।
2	प्रश्न के गलत होने की पहचान करने तथा ऐसे प्रश्न(प्रश्नों) को मूल्यांकन की परिधि से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, क्या प्रश्न-पत्र बनानेवाला अथवा अगला उच्चतर प्राधिकारी।	विभागीय परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों से आपत्तियां प्राप्त की जाएं। चयन बोर्ड के सदस्य अर्थात प्रश्न-पत्र बनानेवाला प्रश्नों/विकल्पों की परिशुद्धता का निर्णय लेगा तथा मूल्यांकक भी मूल्यांकन शुरू करने से पहले इसके बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।
3	रेल भर्ती बोर्ड की चयन पद्धति तथा विभागीय चयन पद्धति अलग-अलग है, क्योंकि रेल भर्ती बोर्ड में उम्मीदवारों को सभी प्रश्न हल करने के निर्देश के साथ 100 प्रश्न दिए जाते हैं, जबकि विभागीय चयन में	समूह-ग से समूह ख में पदोन्नति के लिए चयनों तथा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में अपनाई जा रही पद्धति को समूह ग चयन/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भी लागू किया जाए। "उसमें मौजूद कुछ प्रश्न(प्रश्नों)/उत्तर(उत्तरों) के गलत

-- 2 --

	कुल 110 प्रश्न होते हैं अर्थात 100 + राजभाषा के 10 वैकल्पिक प्रश्न। कर्मचारियों को केवल 100 प्रश्न हल करने होते हैं। इस स्थिति में कुछ कर्मचारी गलत प्रश्न(प्रश्नों) को हल कर सकते हैं तथा शायद कुछ कर्मचारी गलत प्रश्न(प्रश्नों) को हल नहीं करें और प्रश्न-पत्र में पहले से उपलब्ध राजभाषा के अन्य प्रश्न(प्रश्नों) का उत्तर दें। ऐसी स्थिति में 2 प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध होंगी, पहली उन कर्मचारियों की जिन्होंने गलत प्रश्न(प्रश्नों) को हल किया है और दूसरी उन कर्मचारियों की जिन्होंने तथाकथित गलत प्रश्न(प्रश्नों) को हल नहीं किया है तथा गलत प्रश्न(प्रश्नों) के स्थान पर प्रश्न-पत्र में उपलब्ध अन्य प्रश्न(प्रश्नों) का उत्तर दिया है।	होने की स्थिति में, दिनांक 09.06.2011 के पत्र सं. 2010/ई(आरआरबी)/25/27 में यथा निर्धारित पद्धति को केवल उन उम्मीदवारों के लिए अपनाया जाए जिन्होंने उस/उन गलत प्रश्न(प्रश्नों) को हल किया है अथवा गलत उत्तर(उत्तरों) वाले प्रश्न(प्रश्नों) को हल किया है। यह वैकल्पिक प्रश्न(प्रश्नों) वाले प्रश्न-पत्र(पत्रों) के लिए लागू होगा। "
4	क्या विभागीय चयनों में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में उम्मीदवारों (कर्मचारियों) को पहले से सूचित किया जाए।	वर्तमान में अपनाई जा रही पद्धति को जारी रखा जाए अथवा सभी मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहां आवश्यक हो वहाँ आशोधन किए जा सकते हैं। गलत उत्तर होने की स्थिति में प्रश्नों को हटाने की व्यवस्था का अधिसूचना में उल्लेख किया जाए।
5	क्या ऐसे प्रश्नों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा है जिन्हें मूल्यांकन की परिधि से हटाया जा सकता है और यदि गलत के रूप में चिन्हित प्रश्नों की संख्या उस निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो क्या लिखित परीक्षा को रद्द करने का कोई आदेश है ?	ऐसी कोई सीमा नियत नहीं की गई है।

इससे दक्षिण मध्य रेल के दिनांक 08.07.2021 के पत्र सं. पी(आर)605/XIV, सवारी डिब्बा कारख़ाना के दिनांक 26.04.2021 के पत्र सं. आईसीएफ/विज./2021/पीसी/285, उत्तर मध्य रेल के दिनांक 06.06.2022 के पत्र सं. 797-ई/एनसीआर/पॉलिसी/सेलेक्शन/2022 तथा बनारस रेल कारखाना के दिनांक 02.09.2023 के पत्र सं. जीएम(पी)सीसी/सेलेक्शन/पॉलिसी का निपटान हो गया।

कृपया पावती दें।

07/11/23

(संजय कुमार)
उप निदेशक स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड
ईमेल: sanjay.kumar6@gov.in
फोन नं. 43658/01123303658

सं. ई(एनजी)I/2018/पीएम1/4

नई दिल्ली, दिनांक 07.11.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफए, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड